संख्या-3/2026/713/26-2-2026/2020781

प्रेषक,

अनुराग यादव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 19 मई, 2026

विषयः-वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र, स्वीकृति एवं वितरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश में नगरीय क्षेत्र हेतु आंशिक संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित शासनादेश संख्या-3/2016/579/26-2-2016-100(02)/2007, दिनांक 29.02.2016, शासनादेश संख्या-09/2018/794/26-2-2018-100(02)/2007, दिनांक 16.05.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वृद्धावस्था से संबंधित आवेदन पत्र, स्वीकृति एवं वितरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0), क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार लखनऊ के पत्रांक-1630/4/2020-RO-Lko/5416, दिनांक 31.10.2025 के क्रम में जनशक्ति नियोजन प्रभाग (नियोजन विभाग), उ0प्र0 शासन के पत्रांक-392/27/7-363/107944/ज0नि0प्र0/2024, दिनांक 24.11.2025 द्वारा आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किया गया। उक्त दिशा-निर्देश के क्रम में शासनादेश संख्या-391/26-2-2026/2020781, दिनांक 12.03.2026 द्वारा वृद्धावस्था पेंशन हेतु आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं करने के दिशा-निर्देश निर्गत किये गये।

2- यह पाया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की उपलब्धता रहती है परन्तु नगरीय क्षेत्रों में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर का अभाव रहता है। उक्त के कारण नगरीय क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदक की आयु को सत्यापित करने में कठिनाई आ रही है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वार्ड/नगरीय क्षेत्रों में ऐसे वृद्धजन जिनके पास हाईस्कूल स्तर के शैक्षिक प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है व उक्त नगरीय क्षेत्र में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है, की आयु सत्यापित करने हेतु शासनादेश संख्या-391/26-2-2026/2020781, दिनांक 12.03.2026 में निर्धारित अभिलेखों के अतिरिक्त निम्नलिखित अभिलेख भी मान्य होगें:-

(1) राशन कार्ड

(2) मतदाता पहचान पत्र

(3) ड्राइविंग लाइसेन्स

(4) पासपोर्ट

(5) पैन कार्ड

4- उक्त सुविधा के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप (प्रारूप संलग्न) पर स्व-घोषणा करना अनिवार्य होगा कि उनके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है व क्षेत्र में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है।

5- **यह व्यवस्था केवल नगरीय क्षेत्र के आवेदकों के लिए मान्य होगी।**

उक्तानुसार शासनादेश संख्या-3/2016/579/26-2-2016-100(02)/2007, दिनांक 29.02.2016, शासनादेश संख्या-09/2018/794/26-2-2018-100(02)/2007, दिनांक 16.05.2018, शासनादेश संख्या-391/26-2-2026/2020781, दिनांक 12.03.2026 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अनुराग यादव
प्रमुख सचिव।

संख्या- 713 (1) /26-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संजय कुमार तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आयु के प्रमाण हेतु स्व-घोषणा पत्र (केवल नगरीय क्षेत्र हेतु)

नाम (.....) यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरा शैक्षणिक स्तर हाई स्कूल से निम्न रहा है और जीवन में मुझे कभी हाई स्कूल की परीक्षा का अभिलेख किसी बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया गया है, जिससे मेरी आयु की प्रमाणिकता की पुष्टि हो।

2- मेरा निवास स्थान नगरीय क्षेत्र है, इसमें स्थानीय प्राधिकारी द्वारा परिवार रजिस्टर नहीं बनाया गया है। अतः अपनी आयु के समर्थन में मैं निम्न अभिलेख ..... प्रमाणक के रूप में संलग्न कर रहा हूँ।

(1) राशन कार्ड	.....
(2) मतदाता पहचान पत्र	.....
(3) ड्राइविंग लाइसेन्स	.....
(4) पासपोर्ट	.....
(5) पैन कार्ड	.....

आवेदक का नाम-
पिता का नाम-
मकान नम्बर एवं पिन कोड सहित पूर्ण आवासीय पता-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।